

Papers Laid on the Table of the House by Ministers/Members

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नंबर -2, श्री श्रीपाद येसो नाईक जी ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SHRIPAD YESSO

NAIK): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Sagarmala Development Company Limited, New Delhi, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the Sagarmala Development Company Limited, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9977/17/23]

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-3, श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ।

? (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्री प्रह्लाद सिंह पटेल जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) राष्ट्रीय मांस और मुर्गी प्रसंस्करण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) राष्ट्रीय मांस और मुर्गी प्रसंस्करण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9978/17/23]

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-4, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी।

? (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) संशोधन नियम, 2023 जो 12 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 500(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) ई-अपशिष्ट (प्रबंध) दूसरा संशोधन नियम, 2023 जो 25 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 534(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9979/17/23]

- (2) (एक) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9980/17/23]

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-5, श्री अजय मिश्रा जी।

? (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय मिश्र टेनी): महोदय, श्री नित्यानन्द राय जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत चंडीगढ़ प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (नकद परिवहन क्रियाकलापों को प्राइवेट सुरक्षा) नियम, 2020 जो 8 दिसम्बर, 2020 के चंडीगढ़ प्रशासन राजपत्र में अधिसूचना सं. 282305-एच।।।(तीन)-2020/13037 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9981/17/23]

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-6, श्री पंकज चौधरी जी।

? (व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

- (एक) का.आ. 2436(अ) जो 5 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के प्रयोजनार्थ अपर सेशन न्यायाधीश⁰³, दक्षिण पश्चिम जिला, द्वारका दिल्ली के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित किया गया है।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारियों की सेवा) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 15 मई, 2023 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/129 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 23 मई, 2023 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/130 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 14 जून, 2023 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/131 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 15 जून, 2023 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/132 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फण्ड) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 27 जून, 2023 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/134 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धकरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 5

जुलाई, 2023 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/135 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 3 जुलाई, 2023 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/136 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 3 जुलाई, 2023 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9982/17/23]

(2) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 506(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 नवम्बर, 2020 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.699(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 507(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 मई, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.385(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 508(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मणिपुर राज्य में प्रमुख व्यवसाय स्थल वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए जून, 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने की नियत तारीख को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 509(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2019 की अधिसूचना सं.

सा.का.नि.452(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 510(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 दिसम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.1600(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 511(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.246(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 512(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.249(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 513(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.250(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ. 3192(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. का.आ.1563(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9983/17/23]

(3) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 31 के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना सं. एफ.सं. 3/4/2022-ईएम, जिसके द्वारा निदेशित किया गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के, उसमें उल्लिखित, कतिपय उपबंध

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं या वित्तीय संस्थाओं पर ऐसे उपांतरणों, जैसी भी स्थिति हो, के साथ लागू होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9984/17/23]

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-7, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी।

? (व्यवधान)

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) (एक) समग्र शिक्षा, गोवा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) समग्र शिक्षा, गोवा के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) समग्र शिक्षा, केरल (स्कूल एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ केरल), तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) समग्र शिक्षा, केरल (स्कूल एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ केरल), तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9985/17/23]

- (5) (एक) समग्र शिक्षा, झारखण्ड (झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल), रांची के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) समग्र शिक्षा, झारखण्ड (झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल), रांची के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9986/17/23]

- (7) (एक) समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9987/17/23]

- (9) (एक) समग्र शिक्षा, तेलंगाना, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा, तेलंगाना, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9988/17/23]

- (11) (एक) समग्र शिक्षा अभियान, मध्य प्रदेश (राज्य शिक्षा केंद्र), भोपाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) समग्र शिक्षा अभियान, मध्य प्रदेश (राज्य शिक्षा केंद्र), भोपाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9989/17/23]

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-8, डॉ. भारती प्रवीण पवार जी।

? (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 58 of the National Medical Commission Act, 2019:-
- (i) The Establishment of Medical College Regulations, (Amendment), 2022, published in Notification No. F.No. U-11022/4/2022-UGMEB in Gazette of India dated 14th December, 2022.
 - (ii) The Teachers Eligibility Qualifications in Medical Institutions Regulations, (Amendment), 2023, published in Notification No. C-19011/06/2022/NMC/Coord. in Gazette of India dated 3rd March, 2023.
 - (iii) The Registration of Medical Practitioners and Licence to Practice Medicine Regulations, 2023, published in Notification No. R/15021/04/2022-EMRB-Reg. in Gazette of India dated 12th May, 2023.

- (iv) The Establishment of New Medical Institutions, Starting of New Medical Courses, Increase of Seats for Existing Courses & Assessment and Rating Regulations, 2023, published in Notification No. M-27011/01/2023-MARB in Gazette of India dated 2nd June, 2023.
- (v) The Graduate Medical Education Regulations, 2023, published in Notification No. U-14021-8-2023-UGMEB in Gazette of India dated 2nd June, 2023 together with a corrigendum thereto published in Notification No. U-14021-8-2023-UGMEB dated 19th June, 2023.
- (vi) The NMC, National Exit Test Regulations, 2023 published in Notification No. F.NO. CDN-19012/15/2022/Coord.-NMC in Gazette of India dated 28th June, 2023.

- (2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) and (ii) of (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 9990/17/23]

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-8 ए , श्री बी.एल. वर्मा जी ।

? (व्यवधान)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT9990A /17/23]
